

समक्ष सर्वोच्च न्यायालय भारत  
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील क्रमांक 94/2019

विशेष अनुमति याचिका (आप) क्रमांक 7645/2013 से उद्भूत

नंद किशोर . ..... अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य ..... प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

1. अनुमति प्रदान की गई ।
2. यह आपराधिक अपील अपीलार्थी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक अपील क्रमांक 798/2013 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2013 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने यहाँ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, जिसमें उसे अपराध अंतर्गत धारा 302, 363, 366, 376 (2) (झ) भारतीय दंड संहिता (भा.दं.वि.) का दोषी ठहराया गया, निरस्त करते हुए निर्देश (रेफरेंस) को स्वीकार कर अपीलार्थी की मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की ।
3. आवश्यक तथ्य, संक्षेप में, जिससे इस अपील का उद्भव हो रहा है, यह हैं कि मृतिका 8 वर्षीय अवयस्क बालिका अपने छोटे भाई जिसका नाम चून्नु है (अ.सा. -4) के साथ दिनांक 03-02-2013 को मेला घूमने गयी थी। अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि अपीलार्थी जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, मृतिका को मेले से

ले गया तथा उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की । नरेंद्र (अ.सा. -2 ) ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी पुत्री, जो मेला घूमने गयी थी , घर वापस नहीं लौटी है। इस शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तथा अन्वेषण प्रारंभ हुआ । अन्वेषण के दौरान अभियोजन साक्षी -1 अमित मौर्य ने अन्वेषण अधिकारी को सूचना दी कि जब वह अपने घर से अपनी दुकान की ओर जा रहा था उसने देखा कि एक कुत्ता मुँह में बच्चे का एक पैर दबाए दौड़े जा रहा था और उसका पीछा करने पर कुत्ते ने पैर गिरा दिया और भाग गया । आगे अभियोजन पक्ष का यह भी प्रकरण है कि, अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को मृतिका की सिर विहीन लाश “दशहरा मैदान” भोपाल की झाड़ियों के पास मिली। यह अभिकथित है कि मृतिका का बॉया पैर करीब 100 फीट की दूरी पर पाया गया था तथा दोनों पैरों में अस्थिभंग था। आगे, यह पाया गया है कि मृतिका के गुप्तांग में कई गंभीर चोटें भी अपीलार्थी द्वारा पहुँचायी गयी थी जिससे उसकी आंतें बाहर निकल आयी थी। जाँच कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी का कथन प्रदर्श पी -8 के अंतर्गत दर्ज किया गया तथा खून के दाग लगे हुए कपड़े तथा उसके द्वारा अपराध में प्रयुक्त सामग्री उसके घर से बरामद की गयी। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरान्त अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 (2) (झ) तथा 302 भा.दं.वि. तथा धारा 5 तथा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध में आरोप -पत्र तैयार किया गया ।

4. विचारण न्यायालय, अभिलेख पर आयी साक्ष्य जो मुख्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, के मूल्यांकन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी ने अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कारित की तथा और आगे, इस निष्कर्ष को अभिलेखित करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा कारित अपराध जघन्य और बर्बर है. “विरल से विरलतम” की श्रेणी में आता है, मृत्यु दंड की सजा अधिरोपित की। अपीलार्थी भा.दं.वि की धारा 363, 366, 376(2) (झ) के अपराध में भी दोष सिद्ध पाकर दंडित किया गया है। मृत्युदंड की सजा को देखते हुए, विचारण न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि हेतु निर्देश माँगा, जैसा कि दं.प्र.सं. की धारा 366

में वर्णित है। अभिलेखित दोषसिद्धि, तथा अधिरोपित दंड पर प्रश्न उठाते हुए, अभियुक्त ने आपराधिक अपील क्र. 798/2013 प्रस्तुत की तथा उच्च न्यायालय ने समान निर्णय द्वारा आप. निर्देश क्र. 05/2013 तथा आप. अपील क्र. 798/2013 का निराकरण किया। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 25.06.2013 द्वारा अपीलार्थी की अपील को निरस्त करने हुए, निर्देश स्वीकार कर अपीलार्थी पर अधिरोपित मृत्यु दंड की सजा की पुष्टि की है।

5. हमारे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय. आर. हेगडे को सुना गया तथा शासन की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी को भी सुना गया।

6. इस अपील में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यद्यपि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे साबित करने हेतु कोई स्वीकार्य और ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है, जो अभियुक्त का अपराध प्रमाणित साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य से अभियोजन “अंतिम बार देखा गया” की संकल्पना को साबित करने में असफल रहा है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने भी प्रशमनकारी परिस्थितियों को जाँचे बिना ही अपीलार्थी पर मृत्यु दंड की सजा अधिरोपित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। यह निवेदन है कि अधिरोपित दंड दं.प्र.सं. की धारा 235 (2) एवं 354 (3) के अंतर्गत दिए हुए विधायी आदेश से अवैध एवं विपरीत है। यह तर्क किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 354 (3) एवं 235 (2) से दृष्टिगत् विधायी नीति के सुसंगत विचारों का परीक्षण किए बिना ही केवल यह निष्कर्ष अभिलेखित करते हुए कि घटना बर्बर है, विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने अभिलेखित किया कि अभियोजन का प्रकरण ‘विरल से विरलतम’ मामलों में आता है तथा मृत्यु दंड अधिरोपित किया। यह निवेदन है कि जो भी प्रशमनकारी परिस्थितियाँ विद्यमान थी,

उन पर विचार किया जाना चाहिए था। मृत्यु दंड की अधिरोपित सजा को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

7. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता द्वारा समान परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा निर्णित कुछ प्रकरणों का संदर्भ लिया गया है। विशिष्ट रूप से यह निवेदन है कि सुसंगत पहलुओं जैसे अपीलार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, आपराधिक पूर्ववृत्ति का अभाव, सुधार की संभावना पर विचार नहीं किया गया है। इस न्यायालय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया है कि स्थानीय अधिवक्ता संघ भोपाल ने अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने से मना कर दिया, जिस कारण आरोप विरचित होने के दिनांक तक विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। आरोप विरचित होने की दिनांक को अपीलार्थी द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने के निवेदन पर विचारण न्यायालय ने श्री कात्यायनी से उपस्थित होने का निवेदन किया एवं उसी दिनांक को आरोप विरचित किए गए तथा विचारण अग्रसर किया गया।

8. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि अपीलार्थी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध किया गया था, परंतु प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त एवं संगत है। यह निवेदन है कि अभि.सा. 4 ने अभियुक्त की उस व्यक्ति के रूप में पहचान की जिसे मृतिका के साथ अंतिम बार देखा गया था तथा अभि. सा. 4 ने अभियुक्त की शिनाख्तगी कार्यवाही में भी पहचान की थी। आगे अभि. सा. 7 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में यह कहा है कि उसने अभियुक्त को अवयस्क बालिका, जो पीला फॉक पहने हुए थी, के साथ दिनांक 03.02.2013 को रात्रि के 9:00 बजे देखा था। यह निवेदन है कि यदि उक्त मौखिक साक्ष्य को अभिलेख पर उपस्थित फोरेंसिक विशेषज्ञ और चिकित्सकीय साक्ष्य के प्रतिवेदन के संदर्भ में विचारित किया जाता है तो आरोपित अपराधों में अपीलार्थी को दोषसिद्धि करने में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेखित निष्कर्षों में किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं है। यह कथन किया गया है कि अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि वह जघन्य और बर्बर है, वह “विरल

से विरलतम” प्रकरणों की श्रेणी में आता है। यह निवेदन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेखित कारणों जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, को ध्यान में रखते हुए अभिलेखित दोषसिद्धि तथा अपीलार्थी पर अधिरोपित सजा में हस्तक्षेप करने के कोई आधार नहीं हैं।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय तथा अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य सामग्री का हमारे द्वारा परिशीलन किया गया है।

10. जहाँ तक दोषसिद्धि का प्रश्न है, हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेखित निष्कर्षों, जो मौखिक तथा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है, से संतुष्ट हैं।

11. यद्यपि प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर पूर्णतः आधारित है, यह ध्यान दिया जाना है कि अभि. सा. 4 मृत्तिका का भाई है जो 03.02.2013 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृत्तिका के साथ मेले में गया था। उसने शिनाख्तागी कार्यवाही में अभियुक्त की पहचान की है तथा आगे उसने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी मृत्तिका को मेले से ले गया था। आगे, अभि.सा. 1 अमित मौर्या ने यह कथन किया है कि जब वह अपनी दुकान से घर की ओर आ रहा था, उसने एक कुत्ते को मुँह में बच्चे का पैर दबाए हुए दौड़ते देखा तथा पीछा करने पर उसने वह पैर गिरा दिया। आगे, अन्वेषण में झाड़ियों में मृत्तिका के सिर विहीन शरीर का पता चला। आगे अभि.सा. 7 आबिद कुरैशी ने भी यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को 03-02-2013 को रात्रि 9:00 बजे पीली फ्रॉक पहने हुई बालिका के साथ देखा था। प्रकरण के तथ्यों में “अंतिम बार देखे जाने” के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए तथा आगे अभिलेख पर आयी फोरेंसिक तथा चिकित्सकीय साक्ष्य पर विचार करने पर विचारण न्यायालय ने अभिकथित अपराधों में अभियुक्त को दोषी पाना सही अभिलेखित किया है। अभिलेख पर आए सुसंगत तथ्यों का संदर्भ लेते हुए, उच्च

न्यायालय ने भी अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में उसकी दोषसिद्धि की सही पुष्टि की है।

12. इस अपील में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अधिरोपित मृत्यु दंड पर ध्यान केंद्रित किया है तथा निवेदन किया है कि निष्कर्ष अभिलेखित करने के पूर्व सुसंगत पहलुओं पर विचार नहीं किया गया कि प्रकरण 'विरल से विरलतम' की श्रेणी में आता है, जिससे कि मृत्यु दंड अधिरोपित किया जा सके। अपीलार्थी का विशिष्ट निवेदन है कि 'विरल से विरलतम' प्रकरणों में निष्कर्ष अभिलेखित करने के पूर्व जिन विभिन्न सुसंगत पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है, वे विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के ही ध्यान से बच गए। विशेष रूप से यह तर्क किया गया कि धारा 354 (3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवश्यक विशिष्ट कारण अभिलेखित नहीं किए गए। मृत्यु दंड अधिरोपित करने के लिए जो कारण अभिलेखित किए गए हैं, उन्हें दं.प्र.सं. की धारा 354 (3) के अर्थ में विशिष्ट कारण नहीं माना जा सकता। आगे, यह निवेदन किया गया है कि हत्या के दोषसिद्ध व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास एक नियम है तथा मृत्युदंड एक अपवाद, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने बचनसिंह बनाम पंजाब राज्य<sup>1</sup> के मामले में माना है तथा आगे यह निवेदन किया गया है कि उपरोक्त निर्णय में दिए गए निर्धारित अनुपात के विपरीत केवल अपराध पर ध्यान दिया गया, यद्यपि न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे अपराध की परिस्थितियों के साथ-साथ अपराधी पर भी ध्यान दें। आगे, प्रशमनकारी परिस्थितियाँ जो विद्यमान थी, और जिन पर उदार तथा विस्तृत व्याख्या की जानी चाहिए, पर विचार करने में लोप हुआ है। आगे, यह निवेदन किया है कि मृत्युदंड की सजा केवल उन प्रकरणों में अधिरोपित की जा सकती है जिनमें आजीवन कारावास का विकल्प निश्चित रूप से समाप्त हो गया है।

13. इस संबंध में स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य<sup>2</sup> के प्रकरण में दिए गए निर्णय का उपयोगी संदर्भ लिया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय में, भा.दं.वि.

---

1. (1980) 2 SCC 684

2. (2008) 13 SCC 767

की धारा 302 के अपराध में दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए इस न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अभिलेख पर आए साक्ष्य पर विचार करते हुए मृत्यु दंड के स्थान पर इस विनिर्दिष्ट निर्देश के साथ आजीवन कारावास अधिरोपित किया है कि वह अपने शेष जीवन काल के लिए जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय ने, कंडिका 92 में यह माना है कि:

“92. मामले को एक थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है। सजा के दो पहलू हैं। एक सजा अत्याधिक तथा अनुचित रूप से कठोर हो सकती है अथवा अत्यंत अनुपातहीन रूप से अपर्याप्त हो सकती है। जब एक अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित मृत्यु दंड, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी है, के साथ इस न्यायालय में आता है, तो यह न्यायालय यह पा सकता है, जैसा कि इस प्रस्तुत अपील में पाया गया है, कि मामला “विरल से विरलतम” की श्रेणी से कुछ कम है, तथा यह न्यायालय मृत्युदंड का समर्थन करने में थोड़ी अनिच्छा महसूस कर सकता है। परंतु साथ ही, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय दृढ़ता से यह अनुभव कर सकता है कि आजीवन कारावास, सजा में छूट के अधीन, सामान्य रूप से 14 वर्ष की अवधि के लिए होता है जो कि अत्यंत अनुपातहीन एवं अपर्याप्त है। तब न्यायालय को क्या करना चाहिए? यदि न्यायालय का विकल्प केवल दो सजाओं तक ही सीमित है—एक, कारावास की सजा जो सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, चौदह वर्ष से अनाधिक हो तथा दूसरा, मृत्युदंड, तो न्यायालय प्रलोभित हो सकता है एवं स्वयं को मृत्युदंड का समर्थन करने में प्रवृत्त होना पा सकता है। ऐसा मार्ग अपनाना वास्तव में विनाशकारी होगा। इससे अधिक न्यायोचित, युक्तियुक्त एवं उचित मार्ग विकल्पों का विस्तार करने का होगा तथा ऐसा विकल्प लिया जाए जो, वास्तव में, न्यायालय के लिए विधिपूर्ण है, अर्थात् कि, 14 वर्ष के कारावास तथा मृत्युदंड के बीच का विशाल अंतराल। इस पर जोर देने की आवश्यकता है कि न्यायालय प्राथमिक रूप से विस्तारित विकल्प अपनाएगा क्योंकि प्रकरण के तथ्यों में 14 वर्ष के कारावास की सजा कोई भी सजा नहीं मानी जाएगी।

नील कुमार बनाम हरियाणा राज्य<sup>3</sup> के प्रकरण, जो कि एक अवयस्क के बलात्कार एवं हत्या का प्रकरण है, में दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास की सजा में संशोधित किया तथा यह निर्देशित किया कि अभियुक्त बिना किसी छूट के न्यूनतम 30 वर्ष का कारावास भोगेगा ।

उक्त निर्णय की कंडिका 37, 38 एवं 39 निम्नानुसार है :-

37. प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 13 SCC 767 में मृत्यु दंड की सजा को अपास्त किया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनायी, परंतु आगे यह समझाया कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ती करने हेतु उसमें अपीलार्थी अपने जीवन के अंतिम काल तक कारागार से रिहा नहीं किया जाएगा ।

38. इसी प्रकार, रामराज बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2010) 1 SCC 573 में इस न्यायालय ने, मृत्यु दंड अपास्त करते हुए, यह निर्देश दिया कि उसमें अपीलार्थी अर्जित छूट सहित न्यूनतम 20 वर्ष की सजा भुगतेगा तथा 14 वर्ष की सजा पूर्ण होने पर रिहा नहीं किया जाएगा ।

39. अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में हम मृत्युदंड को अपास्त करते हैं तथा आजीवन कारावास का दंड सुनाते हैं । अपीलार्थी की समय पूर्व रिहाई के लिए, उसके मामले में विचारण के पूर्व, वह बिना किसी छूट के न्यूनतम 30 वर्ष के कारावास की सजा भुगतेगा ।

सेल्वम बनाम राज्य<sup>4</sup> के प्रकरण में, जो कि लगभग 9 वर्षीय बालिका के हत्या एवं

---

3. (2012) 5 SCC 766

4. (2014) 12 SCC 274



बलात्कार से संबंधित है, दोषसिद्धि के निष्कर्ष से बिना हस्तक्षेप किए इस न्यायालय ने इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अभिलेख में आए साक्ष्य पर विचार करते हुए बिना किसी छूट के 30 वर्ष के कारावास की सजा अधिरोपित की। टटटू लोधी बनाम मध्य प्रदेश राज्य<sup>5</sup> के प्रकरण में, जो कि एक सात वर्षीय बालिका के व्यपहरण तथा बलात्कार एवं हत्या के प्रयत्न से संबंधित मामला था, में प्रकरण के तथ्यों तथा अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह निर्देशित करते हुए कि अभियुक्त 25 वर्ष का वास्तविक कारावास भुगतने तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में संशोधित किया। आगे, राजकुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य<sup>6</sup> के मामले में इसी प्रकार की परिस्थितियों में इस न्यायालय ने मृत्युदंड को संशोधित किया एवं आजीवन कारावास की सजा दी तथा यह निर्देश किया कि उसमें अपीलार्थी बिना किसी छूट के न्यूनतम 35 वर्ष का कारावास भोगेगा। आगे, अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य<sup>7</sup> के प्रकरण में, जहाँ प्रकरण एक 10 वर्षीय बालक की हत्या से संबंधित था, जिसके साथ शारीरिक संभोग किया गया, इस न्यायालय ने निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया कि :-

“36, दं.प्र.सं की धारा 235 (2) सहपठित धारा 354 (3) से यह विधायी नीति दृष्टिगत् है कि जब सदोषता दुराचारिता का अनुपात ग्रहण कर लेती है तो न्यायालय को मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए धारा 354 (3) के अर्थ में विशेष कारण देने होते हैं। एक विधायी नीति वह है जब विशेष कारण विद्यमान हों, जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में है, तो न्यायालय को उचित दंड देकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन तथा विधायी नीति का सम्मान करना होगा अर्थात् जनता की इच्छा। हमारा यह विचार है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, पूर्व में ही भुगती गयी सजा के अतिरिक्त बिना किसी छूट के 30 वर्ष की अवधि का अतिरिक्त कारावास एक पर्याप्त दंड होगा ना कि मृत्यु दंड। तदनुसार आदेशित।”

---

5. (2016) 9 SCC 675

6. (2014) 5 SCC 353

7. (2014) 4 SCC 69

14. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के मुकेश तथा अन्य बनाम राज्य ( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य<sup>8</sup> (जो निर्भया प्रकरण के नाम से जाना जाता है) के निर्णय पर अपने पक्ष के समर्थन में अवलंब लिया है एवं निवेदन किया है कि उपरोक्त निर्णय के निर्धारित अनुपात का प्रयोग करते हुए यह प्रकरण “विरल से विरलतम”, प्रकरण की श्रेणी में आते हुए मृत्युदंड आकर्षित करता है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों के संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुकेश (ऊपर) का प्रकरण प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य से भिन्न है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुकेश (ऊपर) पीड़िता के सामूहिक बलात्कार तथा हत्या और पुरुष पीड़ित की हत्या के प्रयत्न का मामला है। अभियोजन का यह विशिष्ट निवेदन था कि अपराध षडयंत्र के अनुसरण में कारित किए गए तथा अभियुक्त अन्य अपराधों के अतिरिक्त भा.दं.वि की धारा 120—ब के अंतर्गत दोषसिद्ध किए गए। आगे, तथ्य के रूप में उपरोक्त प्रकरण में यह पाया गया कि अभियुक्त मुकेश उस रात्रि को एक अन्य आपराधिक गतिविधि में लिप्त था। आगे, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त प्रकरण में मृत्युकालिक कथन, घटना के चक्षुदर्शी साक्षी इत्यादि थे। जहाँ तक प्रस्तुत प्रकरण का संबंध है, यह केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अपीलार्थी का यह विशिष्ट निवेदन है कि उसे उचित विधिक सहायता प्रदान नहीं की गयी तथा वह एक मैनहोल कामगार है। अपीलार्थी की आयु लगभग 50 वर्ष थी। आगे, इस प्रकरण में निचली अदालतों के द्वारा इस आशय का कोई निष्कर्ष अभिलेखित नहीं किया गया कि अपीलार्थी के सुधार की कोई संभावना नहीं है। हमारा मानना है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारण जिनकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, अभियुक्त पर मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए दं.प्र.सं की धारा 354 (3) के अर्थ में विशिष्ट कारण गठित नहीं करते हैं। अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं प्रकरण में आयी समस्त परिस्थितियों को देखते हुए, तथा उस न्याय दृष्टांत की कसौटी पर, जिसकी ऊपर चर्चा की गयी है, में परीक्षण करने पर हमारा मत है कि प्रस्तुत मामला “विरल से विरलतम” की श्रेणी में नहीं आएगा। मामले के उस परिप्रेक्ष्य में हमारा मत है कि

विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित मृत्युदंड में, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी, संशोधन की आवश्यकता है। तदनुसार यह अपील भागतः स्वीकार की जाती है; विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेखित दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा की गयी है, हम सजा को, 25 वर्ष की वास्तविक अवधि के लिए आजीवन कारावास में, किसी भी छूट के लाभ के बिना संशोधित करते हैं। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सभी अपराधों के लिए अधिरोपित सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे

न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव

न्यायमूर्ति आर.सुभाष रेड्डी

नई दिल्ली

18 जनवरी, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।

